If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: — 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Administration), Department of Fisheries - Member; 3. Joint Secretary (Fisheries), Department of Fisheries - Member; 4. Fisheries Development Commissioner, Department of Fisheries - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation (including short-term contract) basis.

[F. No. A-12018/5/2021 Admn I]

SUSHIL KUMAR JHA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (मात्स्यिकी प्रभाग, समूह "क", समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ तकनीकी सहायक (मात्स्यिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में सहायक अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी) पूर्व में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (मात्स्यिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन विभाग, सहायक अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी) (समूह "ख") भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: -उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी)	09*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' गैर-राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 7 (44900-142400 रुपये)

चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलकी जा सकती है)। **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी-उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप,लद्दाखया लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तरया समुद्री जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर या औद्योगिक मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर या एक्काकल्चर विज्ञान में स्नातकोत्तर या मात्स्यि की विज्ञान में स्नातकोत्तर. अनुभव – केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त संगठन या वैधानिक यामान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से मात्स्यिकी अनुसंधान या मात्स्यिकी अनुसंधान या मात्स्यिकी क्षेत्र (अन्तर्देशीय या समुद्री या एक्काकल्चर) में दो साल का नियमित अनुभव। वांछनीय योग्यता : केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई से मात्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती है यदि अभ्यर्थीअन्यथा सुयोग्य है। **टिप्पण 2:** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है।

क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु व शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पण:** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को	सीधी भर्ती **टिप्पण:** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति नियुक्ति पर जाने या लम्बी

	सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	अस्वस्थता या अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रति नियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा- (क) (i) मूल पद पर नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या (ii)वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) के पद पर पांच साल की नियमित सेवा के साथ; और (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, उसकी संरचना है।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य; 3. संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी),मत्स्यपालन विभाग- सदस्य; और 4. निदेशक एवं उप सचिव(प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[फ.सं. ए-12018/1/2021 प्रशा. I]

सुशील कुमार झा,उप सचिव

New Delhi, the 27th June, 2023

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (Fisheries Division, Group 'A', Group 'B', and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of the Senior Technical Assistant (Fisheries), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Assistant Research Officer (Fisheries) erstwhile as Senior Technical Assistant (Fisheries) in Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Department of Fisheries, Assistant Research Officer (Fisheries) (Group 'B') Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Assistant Research Officer (Fisheries).	9* (2023) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	level 7 (Rs. 44900-142400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India. (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential. - Master degree in	Not Applicable.	Two years	Direct Recruitment

Zoology with specialization in Fisheries or Master of Fisheries Science or Master of Science in Marine Biology or Master of Science in Industrial Fisheries or Master of Science in Aquaculture or Master of Science in Fisheries Science from a recognised University or Institute. **Experience. -** Two years regular experience in Fisheries research or work experience in the field of Fisheries (Inland or Marine or Aquaculture) from a Central or State Government Department or public sector undertaking or recognised research institute or statutory or autonomous organization. **Desirable Qualification. -** Diploma in Fisheries Science issued by the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with five years regular service in posts in level 6 (Rs. 35400/- — Rs. 112400/-) of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: — 1. Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries- (Chairman); 2. Joint Secretary (Fisheries), Department of Fisheries- (Member); 3. Joint Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries- (Member); and 4. Director or Deputy Secretary (Admn), Department of Fisheries- (Member).	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2021 Admn I]

SUSHIL KUJMAR JHA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA